# राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद,उ0प्र0,
# परिसर–राजकीय आई0टी0आई0अलीगंज लखनऊ।

पत्रांकः /एस0सी0वी0टी0/कोड आवंटन/का0ज्ञा0/2020

लखनऊ : दिनांक ०५ मार्च, 2020

## कार्यालय–ज्ञाप

प्रदेश के निजी क्षेत्र में स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को एस0सी0वी0टी0 पोर्टल पर कार्य करने हेतु कोड आवंटन तथा व्यवसाय/एकक में नियमानुसार परिवर्तन की विद्यमान व्यवस्था के अन्तर्गत डी0जी0टी0,भारत सरकार, एन0सी0वी0टी0 सम्बन्धन समिति द्वारा निर्गत सम्बन्धन आदेश के आधार पर राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद,उ0प्र0, लखनऊ द्वारा एस0सी0वी0टी0 पोर्टल पर संस्थान के पंजीकरण हेतु कोड आवंटन यूजर आई0डी0/पासवर्ड प्रदान किया जाना तथा व्यवसाय/एकक में परिवर्तन की कार्यवाही पूर्ण करायी जा रही है।

उक्त विद्यमान व्यवस्था में पायी गयी विसंगतियों के प्रभावी निराकरण हेतु तत्काल प्रभाव से निम्न व्यवस्था लागू की जाती है तथा भविष्य में निम्नानुसार अभिलेख राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद,उ0प्र0 लखनऊ कार्यालय में जमा किया जाना अनिवार्य होगा–

1. प्रदेश स्तर पर पूर्व से संचालित निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को व्यवसाय/एकक में परिवर्तन एवं नवसृजित संस्थान हेतु डी0जी0टी0, भारत सरकार, एन0सी0वी0टी0 सम्बन्धन समिति द्वारा निर्गत सम्बन्धन आदेश की प्रमाणित प्रति।
2. प्रदेश स्तर पर नवसृजित/पूर्व से संचालित निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,उ0प्र0 लखनऊ स्तर से सम्बन्धित संस्थान/व्यवसाय/यूनिट हेतु निर्गत सम्बन्धन आदेश की प्रति।
3. सम्बन्धित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य द्वारा रू0 100/– के स्टाम्प पेपर पर इस आशय का शपथ–पत्र दिया जायेगा कि उपरोक्त संस्थान के सम्बन्धन सम्बन्धी सूचना/अभिलेख जो उनके द्वारा परिषद में प्रस्तुत किये जा रहे हैं, पूर्णतया सत्य हैं। यदि इनमें किसी प्रकार की विसंगति पायी जाती है तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित संस्थान के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य का होगा।
4. नवसृजित/पूर्व से संचालित निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रस्तुत तत्सम्बन्धी अभिलेख की पुष्टि डी0जी0टी0,भारत सरकार, नई दिल्ली/प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय,उ0प्र0 लखनऊ स्तर से होने के उपरान्त ही एस0सी0वी0टी0 कोड जारी किया जाना सम्भव होगा।

कृपया तद्दानुसार आवश्यक कार्यवाही सभी सम्बन्धित सुनिश्चित करें।

(हरिकेश चौरसिया)
अधिशासी निदेशक

पत्रांकः 2478/एस0सी0वी0टी0/कोड आवंटन/का0ज्ञा0/2020,तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव, उ0प्र0शासन,प्रमुख सचिव, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग/अध्यक्ष,राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद,उ0प्र0 लखनऊ।
2. निदेशक(प्रशिक्षण),कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय(डी0जी0टी0),नई दिल्ली।
3. वैयक्तिक सहायक, सचिव,एस0सी0वी0टी0/निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,उ0प्र0।
4. संयुक्त निदेशक, राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद,उ0प्र0 लखनऊ।
5. समस्त मण्डलीय संयुक्त निदेशक(प्रशि0/शिक्षु0),उत्तर प्रदेश।
6. उपनिदेशक, राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद,उत्तर प्रदेश।
7. सहायक निदेशक, राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद,उत्तर प्रदेश।
8. सहायक लेखाधिकारी, राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद,उ0प्र0।
9. स्थापना अनुभाग।
10. गार्ड फाईल हेतु

९.३.२०२०

(हरिकेश चौरसिया)
अधिशासी निदेशक